

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



जज अदालत उपजिला कलेक्टर बसवा मुकाम बसवा बसवा
 रामेश्वर प्रसाद पुत्र प्रभुदयाल वगैरह वनाम बैरयावां पुत्र रामसहाय वगैरह
 किसम मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा नं. 180 सन 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 16.11.2022 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीण रामेश्वर प्रसाद वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा जरिये एडवोकेट श्री अनिल पोसवाल के पेश किया गया। प्रा.पत्र वास्ते टी.आई.के. के मुताबिक ग्राम मूही के खाता संख्या 305 के आराजी खसरा नंबर 1856 रकबा 0.14 हेक्टर, 1857 रकबा 0.18 हेक्टर, 1860 रकबा 0.09 हेक्टर, 1861 रकबा 0.11 हेक्टर, 1862 रकबा 0.19 हेक्टर, 2667/1839 रकबा 0.03 हेक्टर कुल खसरा नंबर 6 रकबा 0.74 है, जिसमें प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान की सहखातेदारी है। प्रतिवादी सं. 1 से 18 व प्रार्थीण इस भूमि के सहखातेदार हैं, भूमि का तकास्मा विधिवत नहीं हुआ है। फसल कटाई व अन्य कारणी से प्रार्थीण एवं अप्रार्थीयान के मध्य संजिदा रहती है। दिनांक 14.11.2022 को प्रार्थीण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 7 से तकास्मा व निर्माण हेतु कहा तो इंकार कर दिया। अतः प्रार्थीण को बिना विधिवत तकास्मा हुए भूमि विक्रय नहीं करने, रहन, बकसोस, हस्तांतरित नहीं करने हेतु अप्रार्थीयान को पारंट किया जावे। साथ ही निर्माण व पुख्ता व खाम निर्माण से प्रतिबंधित किया जावे। हमने प्रार्थी के वकील को सुना। पुस्तत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया केस सुविधी संतुलन प्रार्थीण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीयान को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा के आगामी तारीख 28.12.2022 तक इस आशय से प्रतिबंधित किया जाता है कि बिवादित भूमि ग्राम मूही पटवार मण्डल मूही के खाता संख्या 305 के खसरा नंबर 1856, 1857, 1860, 1861, 1862, 2667/1839 कुल खसरा 6 कुल रकबा 0.74 हेक्टर एवं टी.आई.प्रा.पत्र में अंकित खाता सं. 354 खसरा नंबर 1841/2449, 1845/2448, 1858, 1878, 2665/1840, कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.97 हेक्टर भूमि ग्राम मूही की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थितियथावत कायम रखी जावे। तलबी अप्रार्थीयान को रजिस्टर्ड एडी के जारी हो, पत्रावली आगामी तारीख 28.12.2022 को पेश हो।</p> | <p>नोटिस दिनांक 472-480 18/11/22</p> <p>नोटिस प्राप्त 18/11/22</p> <p>16.11.2022</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बसवा (सीसा)</p> |

28/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्वयंम/प.ओ. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मग अटेश की कारना में दिनांक 28.12.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

सीख
म व
तारी

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



लम

कलेक्टर

मुकाम

मा

रामेश्वर प्रसाद
अस्थायी निषेधाज्ञा नं.

180

बनाम

रैवरयां रवां व अन्य

सन

2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए

30/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा काय स्थगन/P.O. सां राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनस्त तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 6.12.23 को पेश हो।

30/10

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा काय स्थगन/P.O. सां राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनस्त तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 6.12.23 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

6.12.23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा काय स्थगन/P.O. सां राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनस्त तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 15.12.2023 (15-12-2023) को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

15/12

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवधि 350 इनके द्वारा एक जटिल दस्तावेज पेश किया। जटिल दस्तावेज न्यायालय अतिपन्जिल कलम 201 के समुच्च विचारधीन स्थानों पर 2012 रमेश्वर प्रसाद व अन्य बनाम रैवरयां व अन्य की दिनांक 13.12.23 की आदेशिका पेश की निसे अज्ञात स्थानान्तरण अर्चना पर दिनांक 13.12.23 को अज्ञात एनपी व अज्ञात पेशी के खारिज कर दिया गया है। पत्रावली आगामी तारीख 18/12/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

18/12

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवधि 350 3-3 बार आवेजें लगवाई गई। विरल आवेजें पेशी के उपरान्त भी नहीं। जहाँ तक अथवा उनके अधिकार 350 भी प्राप्त हैं। लिहाजा उक्त अज्ञात एनपी व अज्ञात पेशी के खारिज किया जा रहा है पत्रावली आगामी तारीख 18/12/23 को पेश हो। नम्बर लिखत से।

उपखण्ड अधिकारी
कलक (सीसा)

ता
का
7